गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 151वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 30.11.2018 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 151वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 30.11.2018 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया::–

1.	श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ		अध्यक्ष
2.	श्रीमती कंचन वर्मा, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद		उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती रितु माहेश्वरी, जिलाधिकारी गाजियाबाद		सदस्य
4.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।		सदस्य
5.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मण्डल, मेरठ		सदस्य
6.	श्री के0बी0 शुक्ला, सहयुक्त निदेशक, मेरठ		सी0टी0सी0पी0 के प्रतिनिधि सदस्य
7.	श्री सी0पी0 सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद		सदस्य
8.	श्री सतीश चन्द गौड, चीफ कोआर्डिनेट प्लानर एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद		सदस्य
9.	श्रीमती स्मिता सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम		सदस्य
10.	श्री एस0पी0एन0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता आवास विकास परिषद वसुन्धरा गाजियाबाद।		सदस्य प्रतिनिधि
11.	मौ0 आसिफ खान		गैर सरकारी सदस्य
12.	श्रीमती कृष्णा त्यागी		गैर सरकारी सदस्य
13.	श्री सचिन कुमार		गैर सरकारी सदस्य
14.	श्री हिंमाशु मित्तल		गैर सरकारी सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0	विषय	निर्णय
151/1 प्रशासन	प्राधिकरण की 150वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.06. 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 150वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15.06.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।
151/2 प्रशासन	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 150वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15.06.2018 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	मद सं0 150/4 खसरा स0 1132,1133 ग्राम डासना तहसील गाजियाबाद में 40 किला ली0 डीजल भण्डारण हेतु अण्डरग्राउण्ड टैंक /पम्प हेतु अनापत्ति दिये जाने के समय मानचित्र स्वीकृति कराये जाने की शर्त का अनुपालन सुनिंश्चित कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। मद सं0 150/8 प्राधिकरण की कौशाम्बी योजना में साईबर हब हेतु कन्सलटेन्ट नियुक्त किये जाने विषयक निर्देशित किया गया कि इंस्ट्टियूशनल लैण्ड यूज़ सम्बन्धी बिन्दु पर सम्यक परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करने के उपरान्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से साईबर हब हेतु निस्तारित किये जाने की कार्यवाही की जाये तथा नीलामी न होने पर नया कन्सल्टेंट नियुक्त करने के लिए ई0ओ0आई0 आमंत्रित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाये। मद सं0 150/9 राजनगर डिस्ट्रिक सेन्टर के ले–आउट प्लान में आंशिक संशोधन किये जाने के

Kancha

		सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि ट्रैफिक की फिजीबिलटी का अध्ययन करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाये, तथा अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग की जगह सरफेस मल्टीलेवल मैकेनाइज्ड पार्किंग की व्यवस्था की जाये एवं प्लाजा की जगह प्लाजा का प्राविधान किया जाये। मद सं0 150/11 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018–19 के प्रस्तावित आय–व्यय विषयक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मद सं0 150/30 गाजियाबाद नगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किये जाने हेतु अवगत कराया गया कि प्रकरण निति निर्धारण हेतु शासन को प्रेषित किया जा रहा है।
151/3 नियोजन	राजस्व ग्राम नूरनगर के खसरा सं0 823,826 व राजस्व ग्राम सद्दीकनगर के खसरा सं0 834,835,838,839,840,841,842 व 943 पर मै0 एन्थम यशकीर्ति इन्फ्रासिटी प्रा0 लि0 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु प्रस्तावित स्थल का जोनल प्लान, जोन–1 में दर्शित भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तिन के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अवलोकित किया गया कि जो नम्बर गलत अंकित हो गया है (843 के स्थान पर 943 अंकित है), उसको संशोधित करा लिया जाये। उक्त संशोधन के साथ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।
151/4 नियोजन	मैसर्स उत्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा एन0एच0–24 पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के संशोधित डी0पी0आर0 (4494.31 एकड़)/ले–आउट प्लान (4004.25 एकड़) की स्वीकृति विषयक	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्देशित किया गया कि रेरा के परिपेक्ष्य में भी योजना का परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।
151/5 नियोजन	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

151 / 6 नियोजन		प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम निवाडी मसूरी, एवं अकबरपुर बहरामपुर गाजियाबाद की ग्राम समाज/नगर पंचायत की कृषि/नान कन्फर्मिग यूज की भूमि के आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
151/7 नियोजन		गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पी0पी0पी0 माडल पर प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर को कन्सटैन्ट के माध्यम से निर्माण कराये जाने हेतु प्रकाशित किये जाने वाले EOI से पूर्व विकासकर्ता/कन्सटैन्ट को इन्सेन्टिव प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रि–बिड कान्फ्रेंस आयोजित कर विकासकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले इन्सेन्टिव की जानकारी देते हुए उनके द्वारा अपेक्षित इन्सेन्टिव की जानकारी प्राप्त कर ली जाये। साथ ही राज्य स्तर पर पॉलिसी बनाये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।
151/8 नियोजन		रक्षा विज्ञान सहकारी आवास समिति को शमन शुल्क की धनराशि किश्तों में किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का विधिक परीक्षण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकः–30.03.2018 के क्रम में कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
151/9 नियोजन		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
151/10 नियोजन		आयुष मंत्रालय भारत सरकार को भूमि का भू–उपयोग कार्यालय से सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
151/11 नियोजन		गाजियाबाद में कियान्वित की जा रही हाईटेक/इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः– 1. सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट हेतु विकासकर्ताओं को तत्काल भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाये। 2. जिन विकासकर्ताओं द्वारा अधिक भूमि कय कर ली गयी है लेकिन स्थल पर विकास एवं निर्माण कार्य नही किये गये है, उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाये तथा प्राप्त स्पष्टीकरण का समुचित परीक्षण कर आगामी बोर्ड के समक्ष रखा जाये।

Kumar

151/12 नियोजन		गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डूंडाहेडा में मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (कंसोर्शियम) द्वारा विकसित की जा रही इन्टीग्रेटिड टाउनशिप के संशोधित विन्यास मानचित्र स्वीकृत किये जाने एवं समयवृद्धि के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:— 1. विकास कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु एक वर्ष की समयवृद्धि प्रदान की जाये। 2. इन्टीग्रेटिड टाउनशिप हेतु शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
151/13 नियोजन		प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/नियोजित कालोनियों के सेटबैक के निर्धारण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर चीफ कोर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर0 सेल से मन्तव्य प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
151/14 नियोजन		भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.16 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम–2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त शासनादेश अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/15 नियोजन		मैसर्स के0डी0पी0 बिल्डवैल प्रा0लि0 के भूखण्ड/खसरा सं0 1833 ए कर्पूरीपुरम, गाजियाबाद पर व्यवसायिक किया अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया:— 1. पी0ए0सी0 द्वारा रिव्यू पेटीशन मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है। रिव्यू पेटीशन की अद्यावधिक स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ली जाये। 2. विकासकर्ता द्वारा 4 मंजिला व्यवसायिक भवन प्रस्तावित किया गया है, प्रस्तावित भवन के सम्बन्ध में पी0ए0सी0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये। 3. जिन व्यक्तियों द्वारा विकासकर्ता की योजना में पूर्व में फ्लैट्स बुक कराये गये है, उनकी धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में विकासकर्ता से शपथपत्र प्राप्त कर लिया जाये। 4. जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित करायी जाये।

151 / 16 नियोजन		गाजियाबाद महायोजना में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. पार्कों तथा खुले स्थानों में 10 प्रतिशत निर्माण अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया गया। 2. पार्कों, खुले स्थानों, ग्रीन बैल्ट की भूमि को प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर अन्य स्थानों पर एफ0ए0आर0 दिये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2014 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड से टी0डी0आर0 से सम्बन्धित बनायी गयी नियमावली के साथ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।
151 / 17 नियोजन		गाजियाबाद महायोजना–2021 के अन्तर्गत जोनिंग रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं की अनुमति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त जोनिंग रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आवेदक द्वारा पार्किंग की यथोचित व्यवस्था परिसर के अन्दर ही सुनिश्चित की जाये।
151 / 18 प्रवर्तन–6		लिंक रोड़, गाजियाबाद स्थित सुपरटैक एस्टेट के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त गाजियाबाद स्थित सुपरटेक एस्टेट के नियमितिकरण विषयक प्रस्ताव वापस लिया गया।
151 / 19 प्रवर्तन–6		CISF कैम्पस के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151 / 20 प्रवर्तन–6		राजस्व ग्राम गालन्द, के खसरा सं0 827मि,828मि व 829मि को कृषि भू–उपयोग की भूमि पर औद्योगिक किया विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि स्थल पर केवल कृषि आधारित उद्योग स्थापित किया जाये।
151 / 21 प्रवर्तन–4		श्रीमति प्रिया सिंह, श्रीमति मोनिका चौधरी व श्री करन पाल सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या एस0के0 15 शास्त्री नगर गाजियाबाद पर निर्मित आवासीय भवन की शमन स्वीकृति के सन्दर्भ में अवशेष शमन धनराशि किश्तों में जमा कराये जाने की स्वीकृति हेतु।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

151/22 वित्त नियंत्रक		वित्तीय वर्ष 2017–18 की बैलेन्सशीट का अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/23 मुख्य अभि0		प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों के विक्रय किये जाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि एवं इनके निर्माण पर आ रही लागत के अन्तर की धनराशि को अन्यत्र भारित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/24 मुख्य अभि0		राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर मल्टीलेवल मैकेनाईज्ड पार्किंग का पी0पी0पी0 मॉडल पर बनाये जाने सम्बन्धी पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त करने के सम्बन्ध में।	मद सं0 150/9 पर पारित प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जाये।
151/25 मुख्य अभि0		मधुबन बापूधाम योजना में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत 856 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण के अनुबन्ध की पुनरीक्षित लागत रू0 46.54 करोड़ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/26 मुख्य अभि0		मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में रिक्त एल0आई0जी0 एवं ई0डब्लू0एस0 भवनों को विक्रय किये जाने पर प्राप्त धनराशि एवं इनके निर्माण पर आ रही लागत के अन्तर की धनराशि को अन्यत्र भारित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
151/27 व्यवसायिक		दिनांक 05.10.2018 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक सं0–144 के मद संख्या–23 पर स्वीकृति अनुसार, दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक मैट्रो रेल परियोजना में नया बस अड्डा क्षेत्र में मैट्रो रेल स्टेशन हेतु श्री श्रीकृष्ण गुप्ता के भूखण्ड सं0 ए–2 पटेल नगर ।। की 309.00 वर्ग मीटर ली गयी भूमि के बदले पूर्व में दिये गये 774.30 वर्ग मीटर के भूखण्ड सं0 सी0एस–1, कविनगर को आवंटी द्वारा न लेकर आवंटी की सहमति पर प्राधिकरण की अन्य योजना कर्पूरीपुरम में 468.13 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का लगभग समान श्रेणी का कन्वीनियेन्ट शॉपिंग भूखण्ड विकल्प में दिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/28 व्यवसायिक		प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के नियोजित/आवंटित भूखण्ड/भवनों में मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल बढने पर बढे हुए क्षेत्रफल की दर निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

151/29 व्यवसायिक		प्राधिकरण के तलपट मानचित्रों पर नियोजित पैट्रोल पम्प भूखण्डों पर सी0एन0जी0 पम्प की अनुमति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:– 1. भविष्य में नीलामी के समय उल्लेख किया जाये कि पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प के साथ–साथ सी0एन0जी0 पम्प की अनुमति भी देय होगी। 2. जिन प्रकरणों में केवल पेट्रोल पम्प /डीजल पम्प का उल्लेख है में भी सी0एन0जी0 पम्प का उल्लेख करते हुए पुनः नीलामी की कार्यवाही की जाये। 3. यदि बोलीदाता कोई सरकारी कम्पनी है तो एक ही बोलीदाता होने पर भी बोली स्वीकार कर ली जाये। 4. मधुबन बापूधाम में सी0एन0जी0 पम्प के सम्बन्ध में आई0जी0एल0 द्वारा प्रस्तुत आफर बिड का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
151/30 व्यवसायिक		केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कौशाम्बी योजना के नीलकंठ टावर में 43 एक कमरे के आवंटित भवनों का अनुमोदन।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/31 व्यवसायिक		प्राधिकरण की 149 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या–21 के अनुपालन आख्या।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/32 व्यवसायिक		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्री म्यूटेशन परिवर्तन हेतु नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्देशित किया गया कि इस हेतु यदि कोई पूर्व में शासनादेश जारी है उसका उल्लंघन नही होना चाहिये तथा किसी विवाद या संशय की स्थिति में शासनादेश के प्राविधानों को अभिभावी माना जाये।
151/33 सम्पत्ति–6		डा0 आलिया जुबेरी, पूर्व सांसद को आवंटित भवन सं0 404 कामदगिरी कौशाम्बी में दिनांक 19.07.2012 से कब्जा पत्र जारी करने की तिथि तक तथा अवैध कब्जे के समय का ब्याज रू0 9,72,601.25 माफ करने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्देशित किया गया कि भवन पर अवैध कब्जे की अवधि का आरोपित ब्याज रू0 9,27,601.25/– (रू0 नौ लाख सत्ताईस हजार छः सौ एक पच्चीस पैसे मात्र) को पुनः गणना का परीक्षण करते हुए एवं इसके सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

Kanchan

151/34 पूल		प्राधिकरण के विभागीय वाहन सं0 UP-14-AG-0002 नीलाम की गयी कूडा उठाने वाली मशीन एंव सचल दस्ते के उपयोगार्थ वाहन सं0 UP-14-P-6690 स्वराज मजदा को निरूप्रयोज्य घोषित करने एवं उक्त दोनों वाहनों के सापेक्ष सचल दस्ते के उपयोगार्थ प्रतिस्थानी वाहन के रूप में 02 स्वराज मजदा वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/35 पूल		जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 28.09. 2017 को नगर के ट्रैफिक व्यवस्था हेतु दिनांक 01. 10.2017 को 04 अतिरिक्त क्रेन प्राधिकरण की ओर से ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराये जाने के निर्णय एवं पूर्व में उपलब्ध करायी जा रही 04 क्रेन को समाहित करते हुए कुल 08 क्रेन यातायात पुलिस को उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण की 149 वीं बोर्ड बैठक में प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में एक वर्ष हेतु किराये पर उपलब्ध करायी गयी क्रेनों को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के पत्रांक आर–एस0पी0 टी0–23/2018 दिनांक 25.10.2018 के क्रम में पुनः 01 वर्ष की समय अवधि बढाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/36 अनुरक्षण		प्राधिकरण कार्यालय में फैकेड ट्रीटमेन्ट एवं अन्य कराये गये कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।
151/37 कम्प्यूटर		सेन्टर फॉर इनवायरमेंटल लॉ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च की स्थापना हेतु गौतमबुद्ध युनिवर्सिटी को रू0 10. 00 लाख की सहयोग राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/38 सुरक्षा अनु0		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन/अतिक्रमण की व्यवस्था एवं प्राधिकरण की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/39 प्रशासन		श्री यतेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता के ईलाज में हुए व्यय का भुगतान इनकी मृत्यू उपरान्त पत्नी श्रीमती प्रकाशवती को किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/40 प्रशासन		शासनादेश अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार शासनादेश अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
151/41		अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदया की अनुमति से	
151/42 व्यवसायिक		क्रय योग्य एफ0ए0आर0 सरेण्डर किये जाने एवं धनराशि को भूखण्ड मूल्य में जमा दिनांक में ही समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त पत्रावली पर उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 15.05.2018 की तिथि से एफ0ए0आर0 के मद में जमा धनराशि रू0 1,05,92,147/– भूखण्ड के मूल्य में समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

151 / 43 नियोजन		खसरा सं0 1876 ग्राम कल्लू गढी डासना की भूमि पर निर्मित मैसर्स ईगल कान्टिनेन्टल फूडस प्रा0लि0 आवासीय भू–उपयोग की भूमि का औद्योगिक भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा अपनी भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा किये जाने तथा प्रदूषण सम्बन्धी मानकों का अनुपालन न किये जाने की शिकायतों के दृष्टिगत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
151 / 44 नियोजन		प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की भूमि के भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
151 / 45 नियोजन		प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम निवाडी, गाजियाबाद की ग्राम समाज / नगर पंचायत की मोदीनगर महायोजना–2021 के अनुसार कृषि भू–उपयोग की भूमि के आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
151 / 46 प्रशासन		श्री वी0के0 सिंह, पी0सी0एस0 विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नवजात पुत्र के ईलाज में हुए व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(संतोष कुमार राय)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

Kanchan.
(कंचन वर्मा)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(अनीता सी0 मेश्राम)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ